न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (क) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–14 / 2022

1. दुनीराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा हाल घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

–आवेदक / प्रार्थी

1. श्रीचन्द पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. साहबराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
5. लीलाधर पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रोहिताश पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अनावेदकगण / अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2
श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4
श्री मांगेराम बैनिवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या –5, 6

निर्णय

दिनांकः– 26/10/2023

प्रार्थी दुनीराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा हाल घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने निगरानी निर्णय दिनांक 09.06.2022 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है–

26/10/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की तरफ से मातहत अदालत में अपील इस आशय की पेश की गई कि ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा में अपीलार्थीगण का 60 x 120 फुट क्षेत्र का बहुत पुराना उपयोग एवं उपभोगशुदा भूखण्ड है, जिस भूखण्ड का ग्राम चक सरदारपुरा द्वारा अपीलार्थीगण के संयुक्त नाम से दिनांक 18.03.1974 को पट्टा जारीशुदा है व पट्टा जारी की दिनांक से ही अपीलार्थीगण उक्त भूखण्ड पर काबिज है व भूखण्ड का लकड़ी, थेपड़ी डाल शांतिपूर्वक रूप से बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते आ रहे है। भूखण्ड का आसा पासा उत्तर में रास्ता, दक्षिण में अराजीराज, पूर्व में अराजी राज व पश्चिम में कब्जा शुदा भूखण्ड हेमराज व गंगाराम गोदारा है। दिनांक 03.08.2021 को अपीलार्थीगण मकान निर्माण हेतु उक्त भूखण्ड पर नींव खोदने लगे तो प्रत्यर्थी संख्या 1 दुनीराम मौका पर. आया और उसने उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण करने से मना किया व कहा कि उक्त जगह का उसके पिता के नाम से पट्टा जारीशुदा है। ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा से पट्टा की जानकारी व नकल चाही तो दिनांक 05.08.2021 को नकल प्राप्त हुई जिससे पता चला कि अपीलार्थीगण क पूर्व से दिनांक 18.03.1974 को जारी पट्टाशुदा जगह का प्रत्यर्थी संख्या–1 के पिता (हेमराज पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा) के नाम से दिनांक 03.07.1977 को 100 गुणा 40 फुट क्षेत्र का विक्रय विलेख का पट्टा जारीशुदा है। पट्टा की नकल मिलने पर दिनांक 05.08.2021 को अपीलाधीन पट्टा की जानकारी हुई व पट्टा जानकारी से अपील बिना किसी देरी के आवेदन पत्र 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपील प्रस्तुत की, कि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पिता हेमराज के पक्ष में दिनांक 03.07.1977 को विधि विरूद्ध जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत एवं न्याय सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारीशुदा है। ऐसा पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में खाली पड़ी जगह का ही जारी किया जा सकता है जबकि अपीलाधीन पट्टा अपीलार्थीगण के पूर्व से कब्जा शुदा व पट्टा शुदा भूखण्ड की जगह का जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को पूर्व से उपयोग उपभोग शुदा व पट्टा शुदा जगह का पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। अपीलाधीन पट्टा के जारी करते समय ना तो नियमानुसार आपति नोटिस जारी किये गये व ना ही कोई निलामी कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपीलाधीन पट्टा आज्ञापक नियमों की पालना किये बिना बाजार दर से बहुत कम कीमत पर विधि विरूद्ध जारी किया गया है, इसलिए अपीलाधीन पट्टा खारीज किया जाए।

यह निगरानी निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है–

(क) निर्णय दिनांक 09.06.2022 व अदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल तथा पत्रावली पर प्रस्तुतं दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ तथा निर्णय दिनांक 09.06.2022 काबिल निरस्त योग्य है।

26/10/22
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ख) मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विश्लेषण कतई मनमाना स्वैच्छाचारी एवं नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

(ग) मातहत अदालत द्वारा हेमराज पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा हाल घेऊ तहसील भादरा के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया केवल मात्र प्रार्थी अकेले को पक्षकार बनाया गया है। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 6 भी उनके वारिसान है तथा हेमराज पुत्र उदाराम की फौतदगी के बाद उपरोक्त प्लॉट तीनो भाईयों के कब्जा में है इसलिए मातहत अदालत द्वारा समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के अभाव में मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

(घ) प्रार्थी के दादा हेमराज पुत्र उदाराम जाति जाट के पक्ष में पट्टा संख्या 10 दिनांक 03.07.1977 को 100 गुणा 40 क्षेत्र का राजस्थान पंचायत एवं न्याय सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी है तथा उपरोक्त पट्टा 54 वर्ष पुराना पट्टा है। उक्त पट्टे को इतने लम्बे समय के पश्चात खारिज किया गया है तथा उपरोक्त पट्टा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी के पिता हेमराज का रा0 प0 राज0 एवं सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया था तथा ग्राम पंयायत की खाली भूमि का पट्टा जारी किया गया था। मातहत अदालत द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर 54 वर्ष पुराना पट्टा खारीज किया गया, जो कि कतई गलत एवं विधि के अवहेलना में पारित किया गया हैं, जो कि निरस्तनीय है।

अतः निगरानी प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 09.06.2022 मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावे तथा दिनांक 03.07.1977 को बहाल रखा जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 2 की से ओर श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–04 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–5, 6 की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–03 तामिल होनें के उपरान्त भी न तो स्वंय उपस्थित हुये और न ही उनकी ओर से कोई विधिक पैरोकार। अतः अप्रार्थी संख्या–03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 09.06.2022 के विरूद्ध निगरानी पेश की है। श्रीचंद एंव साहबराम ने अपील

26/10/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 09 /2021 पेश की, कि पट्टा संख्या 10 दिनांक 03.07.1977 को खारिज किया जावे। अपीलांट का पट्टा साईज 60 X 20 बहुत पुराना भूखण्ड है। जिसका पट्टा दिनांक 18.03.1974 को जारीशुदा है। अपीलार्थी भूखण्ड पर काबिज है। भूखण्ड के उत्तर में रास्ता, दक्षिण में अराजीराज भूमि, पूर्व में आराजीराज भूमि, पश्चिम में हेमराज एंव गंगाराम के भूखण्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐतराज किया गया कि जब नींव खोदनें लगे तो दुनीराम आया और निर्माण करनें से मना किया कि पट्टा हमारे पिता हेमराज के नाम है, जो 100 X 40 आकार का है, जो विक्रय विलेख से जारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दुनीराम को रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस जारी किये और दुनीराम हाजिर नहीं आया। हमारा पट्टा दिनांक 03.07.1977 को दिनांक 09.06.2022 अपास्त कर दिया। हेमराज के सभी वारिसों पक्षकार नहीं बनाया। हेमराज के तीन लड़के है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि सभी को सुना जावे। लगभग 46 वर्षो से काबिज हूँ। मेरी उपयोग की भूमि है। उक्त भूखण्ड की चारदीवारी मेरी बनाई हुई है। वर्तमान में भी हम काबिज है। हमारा भूखण्ड राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत खरीद शुदा है। आज भी मेरा कब्जा है। मौका रिपोर्ट भी कार्यालय में बनाई गई और हमें सूचित नहीं किया गया। अतः मेरी निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि हमनें अपील पेश की थी कि श्रीचंद एंव साहबराम का वर्ष 1974 का पट्टा है। उसी पर वर्ष 1977 में पट्टा जारी हुआ है। हमनें इस पट्टे को स्कूल को दान कर दिया। अब यह स्कूल के कब्जे में है। स्कूल के साथ विवाद हुआ तत्पश्चात पट्टा खारिज हुआ। सिविल कोर्ट में भी प्रार्थीगण गए, जहां यह प्रकरण विनोद के नाम पेश किया गया, जो खारिज हुआ। इनके द्वारा बेचा जा चुका है। अतः निगरानी पेश करनें का अधिकारी ही नहीं है। कब्जा किसका माना जावे, विनोद/हेमराज/ श्रीचंद। किसी को पक्षकार नहीं बनाया गया, न विनोद, न ही शिक्षा विभाग को। इनके पास टाईटल भी नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता निगरानी कर्ता ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने स्वंय हमारा कब्जा स्वीकार किया। सुनवाई का अधिकार है, हमें सुना भी नहीं गया। मेरा लगभग 46 वर्ष पुराना पट्टा है। मौका रिपोर्ट स्वंय बना दी, किसी भी गवाह/पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। मेरा पट्टा राजनैतिक द्वेष के कारण खारिज किया। धारा 5 को कहीं भी जिक्र नहीं किया है। यह निर्णय विधि विरूद्ध है। कोई शपथ–पत्र भी नहीं है।

26/10/2022
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि मेरा पट्टा पहले का है। क्या पट्टे पर पट्टा जारी हो सकता है। सिविल कोर्ट से भी खारिज हुआ। कमेटी ने नोटिस जारी किए । अतः निगरानी खारिज हो।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निवेदन किया कि पट्टे पर पट्टा का कथन मनगढ़त है हमनें दोनों पक्षों की बहस सुनी और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन मनन किया। साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट बनाते समय कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट एक निर्धारित प्रपत्र में महज टेबल रिपोर्ट बनाई गई है। मौके पर रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु पक्षकारों को न ही सूचित किया गया है और न ही इस आश्य का कोई नोटिस जारी किया गया है। दोनों पट्टों को देखनें से उनके आसा–पासा का भी मिलान नहीं हो रहा है। इसलीए यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त भूखण्ड के पट्टे एक ही स्थान के है या अलग–अलग स्थानों के। जब गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तब अपीलांट को हेमराज के नाम से जारी पट्टे की जानकारी थी। बावजूद इसके अपीलांट द्वारा हेमराज के सभी वारिसो को पक्षकार नहीं बनाकर केवल दुनीराम को ही पक्षकार बनाया गया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धातों से मेल नहीं खाता है। जहां तक पट्टे पर पट्टे पर होनें का कथन है, उचित मौका रिपोर्ट के अभाव में इस तथ्य को सही नहीं माना जा सकता। उक्त अपील 46 वर्ष पश्चात पेश की गई है। इतनी देरी से पेश करनें का कोई कारण भी जाहिर नहीं है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निगरानी को स्वीकार करना उचित मानता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26.10.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

26/10/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)